## HRA Sazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 390] No. 390] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 29, 2007/भाद्र 7, 1929

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 29, 2007/BHADRA 7, 1929

## पर्यावरण और वन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2007

सा.का.नि. 566(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2007 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में ''डीजल से चलने वाले जेनरेटर सेटों के लिए शोर सीमा'' से संबंधित क्र. सं. 94 के पैरा 4.0 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

''5.0 रक्षा मंत्रालय, भारत सर्कार द्वारा क्रय किए गए 45 केवीए के 16 डीजल जेनरेटर सेटों के लिए पैरा 1 और 3 के उपबंधों से छूट।

रक्षा मंत्रालय द्वारा मोबाइल डाक्यूमेंटेशन प्रणाली में प्रयोग के प्रयोजन के लिए भारत में विनिर्मित 45 केवीए डीजी सेट निम्नलिखित दशाओं के अध्यधीन पैरा 1 से पैरा 3 में दिए गए विनियमों से छूट प्राप्त रहेगा, अर्थात् :—

(i) शोर सिन्यम के लिए विशेष छुटकार केवल सेना द्वारा मोबाइल डाक्यूमेंटेशन प्रणाली (एमडीएस) में प्रयोग किए जाने वाले डीजी सेटों के लिए होगा जो वर्तमान डिजाइन/विन्यास सिहत ध्वनिक संलग्नकों सिहत जेनसेट को नहीं लें जा सकते।

- (ii) निदेशक, रक्षा मंत्रालय, स्रोलह जेनसेटों के क्रम संख्यांकों को सुनिश्चित करेगा और उनको बनाए रखेगा तथा उन जेनरेटर सेटों के विनिर्माताओं को इंजन और जेनसेट के मुख्य ढांचे पर ''केवल मोबाइल डाक्यूमेंटेशन प्रणाली (एमडीएस) में सेना के प्रयोग के लिए'' उत्कीर्ण करने का निदेश देगा।
- (iii) विनिर्माता के परिसर और रक्षा मंत्रालय में एक रजिस्टर रखेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल सोलह 45 केवीए जेनसेट विशेष छुटकारे के अधीन विनिर्मित किए गए हैं और उनका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा''।

[फा. सं. क्यू. 15022/2/2001-सीपीए]

आर. के. वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में का.आ. 844(अ) दिनांक 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चात्वर्ती रूप से और अंतिम रूप से सं. सा.का.नि. 464(अ) दिनांक 7 अगस्त, 2006 द्वारा संशोधित किए गए।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2007

G.S.R. 566(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986 namely:—

- (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2007.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Environment (Protection) Rules, 1986 in

Schedule I, in scrial number 94 relating to 'NOISE LIMIT FOR GENERATOR SETS RUN WITH DIESEL', after paragraph 4.0, following paragraph shall be inserted, namely:

"5.0 Exemption from the provisions of paragraph 1 and 3 for sixteen Diesel Generator sets of 45 KVA purchased by the Ministry of Defence, Government of India."

The 45 KVA DG sets manufactured in India for the purpose of their use in Mobile Decontamination System for use by the Ministry of Defence shall be exempted from the regulations given in paragraph 1 to 3 above subject to the following conditions, namely:—

(i) The special dispensation for the noise norms shall be only for the DG sets to be used in Mobile Decontamination System (MDS) by Army which, with the present design/configuration cannot carry the gensets with acoustic enclosures.

- (ii) The Director, Ministry of Defence shall ensure and maintain the serial numbers for sixteen gensets and he shall also direct the manufacturers of these generator sets to emboss on the engine and main body of the gensets, the words "For the use of Army only in Mobile Decontamination System (MDS)".
- (iii) A register shall be maintained at the manufacturers premises and in the Ministry of Defence to ensure that only sixteen numbers of 45 KVA gensets are manufactured under special dispensation and are not misused elsewhere".

[F. No. Q. 15022/2/2001-CPA]

R. K. VAISH, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844(E) dated 19th November, 1986 and subsequently and lastly amended vide number G.S.R. 464(E) dated 7th August, 2006.